**<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज</u>**
**<u>स्वत्व वाद संख्या–118/2015</u>**

# CIS NO. - 274/2018

नाजू मियाँ.................................................................................................वादी

बनाम

सुनीता देवी एवं अन्य..........................................................................प्रतिवादीगण

**<u>10.08.2022</u>** उभय पक्ष की पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 11.05.2022 अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) के तहत व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है।

वादी को अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–05 शिवकुमारी देवी की मृत्यु दिनांक 29.11.2021 हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी संख्या–05 शिवकुमारी देवी की विधिक वारिसान पूर्व से ही पक्षकार है। अतः वादपत्र से प्रतिवादी संख्या–05 शिवकुमारी देवी का नाम वादपत्र से कलमजद करने का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादीगण की ओर से वादी द्वारा दाखिल आवेदन का मौखिक विरोध किया है तथा निवेदन किया गया है कि आवेदन विलंब से दाखिल किया है जिसके कारण आवेदन खारिज योग्य बताया है।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–05 शिवकुमारी देवी की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकर करते है तथा इनके विधिक वारिसान पूर्व से ही प्रस्तुत वाद में पक्षकार है। अतः ऐसी दशा में न्याय हित में वादी द्वारा दाखिल आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी संख्या–05 का नाम कलमजद करें। अभिलेख दिनांक 21.09.2022 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश (प्रथम)